होटल प्रबंध खान-पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, हाजीपूर

(पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी निकाय)

सूचना

IHM: NCHM: FA(14.9)/2025- 50

दिनांक:- 03/04/25

सभी कैटोगिरी के छात्रों के लिये मेरिट-सह-मीन्स छात्रवृति योजना शैक्षिक वर्ष-2024-25 हेतु

NCHMCT, Noida एवं IHM, Hajipur डिग्री कोर्स में शैक्षिक वर्ष 2024-25 के प्रथम, ततीय एवं पाँचमें सेमेस्टर के उन छात्रों से मेरिट-सह-मीन्स छात्रवृति योजना अंतर्गत छात्रवृति प्रदान करने हेतु आवेदन आमंत्रित करती है, जो 1st, 3rd (In-Institute) and 5th सेमेस्टर में उच्चतम अंकधारी है और कम से कम 60% अंक प्राप्त किये हो साथ ही उनके परिवार की वार्षिक आय सभी म्रातों से 3 लाख से कम हो।

इस योजना के अंतर्गत प्रथम, ततीय एवं पाँचमें सेमेस्टर के एक-एक छात्र/छात्रा को सेमेस्टर फीस में जमा किये गये ट्यूशन फी का 50% संयुक्त रूप से NCHMCT, Noida एवं IHM, Hajipur द्वारा प्रदान की जाती है शेष 50% ट्यूशन फी छात्र/छात्रा को स्वंय वहन करना होगा जिनका उक्त छात्रवृति योजना हेतु चयन किया जाता है।

इस छात्रवृति योजना का लाभ लेने को इच्छुक छात्र/छात्रा जो उक्त मानदंड को पूरा करते है वे प्रशासनिक विभाग से आवेदन-प्रपत्र प्राप्त कर अथवा संस्थान के बेबसाईट से डाउनलोउड कर पूरी तरह भर कर दिनांक 15.05.2025 (मंगलवार) तक सभी नीचे विवरित कागजातों के साथ अवश्य जमा कर दें। देर से जमा किये गये आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

निम्नलिखित कागजातो के साथ आवेदन जमा करे:-

- > उत्तीर्ण सेमेस्टर का अंक पत्र
- जाति प्रमाण पत्र(अनु०जाति/जनजाति/पिछडा वर्ग)
- आय प्रमाण पत्र (एक वर्ष के अंदर का बना हुआ)
- > आधार कार्ड की छायाप्रति
- 🕨 बैंक खाता पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति अथवा रद्द चेक की प्रति
- रू० 100 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र जिसमें निम्नलिखित तथ्य उल्लेखित हों:-
 - ० माता-पिता का पेशा
 - घोषणा कि उनके परिवार की वार्षिक आय सभी म्रोतों से 3 लाख रूपये से कम हैं।
 - घोषणा कि आवेदक किसी अन्य म्रोत/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता पढ़ाई कर रहे कोर्स हेतु नहीं प्राप्त कर रहा है।

प्राचार्य

नोट: छात्रों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को दावा के रूप में नहीं लिया जाना चाहिये यह पूरी तरह योग्यता एवं मानदंड को पूरा करने पर निर्भर करता है।

INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY & APPLIED NUTRITION, HAJIPUR

NOTICE

IHM: NCHM: FA(14.9)/ 2025- 50

DATE: 03/04/25

Scholarship Scheme from NCHMCT, Noida and IHM Hajipur for the year 2024-25 on merit cum means basis for all categories

The Institute invites applications under Merit cum Means basis Scholarship for providing scholarship to one student of 1st Semester, 3rd Semester and 5th Semester of 3rd Year B.Sc in H&HA Programme of the academic session 2024-25 who obtained the highest percentage of aggregate marks, the minimum being 60% (Sixty Percent) in the 1st Semester, 3rd Semester (In-Institute) and 5th Semester examination respectively. The Annual Income from all sources of his/her parents should be below Rs. 3 Lacs. Such students are hereby directed to collect the "Application format" from Accounts section or download from institutes' website and submit duly filled up application along with all documents to Institute latest by 15th May, 2025

Following Documents are required to submit with the Application Form:

- 1) An AFFIDAVIT on non-judicial stamp paper of Rs. 100/- (Rupees Hundred only) as a declaration from his/her parents regarding;
- Occupation (Father and Mother of the applicant)
- Declaration of Income of Parents from all sources which should not exceed 3 Lacs per annum.
- That the applicant/ ward has not been receiving any financial assistance support / Assistantship from any State/ Central Govt. Institutions/ Organizations for pursuing the studies for which he/she is enrolled in the affiliated Institute.
- 2) Marksheet of related Semester examination.
- 3) Caste Certificate (in case of reserve category i.e. OBC/SC/ST)
- 4) Valid Income Certificate issued from competent authority (not more than one year)
- 5) Copy of Aadhar Card
- 6) Bank Passbook copy or Cancelled Cheque

Under the above mentioned scheme, only 50% of the Tuition fee of Semester shall be provided to one student of each semester by NCHMCT and IHM Hajipur jointly. Remaining 50% of the Tuition Fee and other fees shall be borne by the students who fulfill the above mentioned criteria.

The grant of financial assistance to the students should not be taken as claim, as it is subject to fulfilment of eligibility & criteria. Any false and untrue declaration may lead to rustication from the Institute.



Principal

CC: Academic, Notice Board, Website

Hill